FIVE RUPEES

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१२ पुनरीक्षण — R-3385-I/12

छगनलाल पुत्र श्री कचरू जी गुर्जर,
निवासी ग्राम रातड़िया, तहसील नीमच,
जिला नीमच ---आवेदक

वनाम

१) अशोक पुत्र ऊंकरलाल गुर्जर,
२) दशरथ पुत्र पन्नालाल,
३) हरीशंकर पुत्र जगन्नाथ,
४) हरीशंकर पुत्र बद्रीलाल,
५) प्रकाश पुत्र रामलाल जी, गुर्जर, निवासीगण रातड़िया, तहसील नीमच, जिला नीमच (म०प्र०)
---- अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांकी २७-८-१२ एवं दि० १-९-१२ पारित द्वारा तहसीलदार नीमच केप्रकरण क्रमांक ०५/अ-१३/२०११-१२ वउनवान अशोकसिंह गुर्जर आदि वनाम छगनलाल।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, प्रकरण में अनावेदक क्रमांक १ लगायत ४ अशोक पुत्र ऊंकारलाल, दशरथ पुत्र पन्नालाल, हरीशंकर पुत्र जगन्नाथ, हरीशंकर पुत्र बद्रीलाल द्वारा तथाकथित आवेदन अन्तर्गत धारा १३१ म०भू० भू-राजस्व संहिता रास्ता खुलवाने के संबंध में तहसील न्यायालय नीमच के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण प्रारम्भ हुआ जिसमें उल्लेख कि सर्वे क्रमांक ४१४, ४१५, छगनलाल एवं सर्वे क्रमांक ४१५ जो कि प्रकाश पुत्र रामलाल गुर्जर ने कोट लगाकर ... खोदकर रास्ता ...

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3385-एक/12 **जिला** - नीमच

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	

प्रकरण प्रारम्भ